संख्या–70 / 2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर / कानुपर / वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 2022

विषयः– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054 / 2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021, आदेश संख्या–2141 / 2021–सीएक्स–3, दिनांक 24.12.2021, आदेश संख्या–15 / 2022–सीएक्स–3, दिनांक 04.01.2022, आदेश संख्या–34 / 2022–सीएक्स–3, दिनांक 05.01.2022 तथा आदेश संख्या–69 / 2022–सीएक्स–3, दिनांक 09.01.2022 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

(1) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाये, यदि किसी यात्री की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाय एवं यात्री यदि लक्षणात्मक हैं, तो उन्हें पूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनपद स्तर पर गठित प्रशासनिक व मेडिकल टीम उपरोक्तानुसार आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करेंगे एवं समुचित उपचार की व्यवस्था करायें। अन्य यात्री जो स्वेच्छा से टेस्ट कराना चाहते है, उनका भी टेस्ट कराया जाये। स्वास्थ्य विभाग से इस संदर्भ में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

(2) समस्त सरकारी कार्यालय / निजी कार्यालय अधिकतम् 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किये जायें।

(3) निजी कार्यालय के कर्मचारी यदि कोविड धनात्मक पाये जाते हैं तो उन्हें 07 दिन के होम आइसोलेशन की अवधि के वेतन का भी भुगतान किया जाये, जिससे उनको आर्थिक कठिनाई न हो।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

10/01/22

संख्या–70(1) / 2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(4) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन कृपया रेलवे स्टेशन व बस स्टेशनों पर धनात्मक आय रोगियों के उपचार के सम्बन्ध में एस0ओ0पी0 जारी कराने का कष्ट करें।
(5) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) डिवीजनल रेल प्रबन्धक / महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ / डिवीजनल रेल प्रबन्धक / महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज एवं डिवीजनल रेल प्रबन्धक / महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।